

	DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P)/Parliament Cell VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PHONE:- 011-23544794 E-mail:- djbdirector@gmail.com	
---	---	---

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **St.-27/CM-02**

Dated: 15.12.2023

To

Shri Neeraj Aggarwal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

Subject:-Vidhan Sabha Starred Question No. 27 raised by Hon'ble MLA Smt. Raj Kumari Dhillon for 18.12.2023.

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VII/2020-25/VSS/Ques. Branch/6312 date 07.12.2023 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

Director (Admn.& Personnel)

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

DJB/Director (A&P)/VSQ-W-2023/ **St.-27/CM-02**

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Director of Revenue, DJB
5. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
6. Office Copy.

Director (Admn.& Personnel)

Cheshta Yadav, IAS

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

तारांकित प्रश्न संख्या

:- 27

दिनांक

:- 18.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम

:- श्रीमती राज कुमारी ढिल्लों, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली निवासियों के पानी के बिल बहुत ही बढ़-चढ़ कर आ रहे हैं ;	नहीं, यह सत्य नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड केवल पानी की खपत के लिए लागू अधिसूचित दरों के आधार पर बिल जारी करता है। घर में ताला/मीटर लॉक होने की स्थिति में औसत खपत के आधार पर अस्थायी आधार पर बिल जारी किया जाता है, जो कि वास्तविक खपत उपलब्ध होने पर रद्द कर दिया जाता है। बिना मीटर वाले/खराब/स्टॉप बिलिंग के मामले में औसत खपत (नीतिगत औसत/आंकलित औसत/व्यवस्थित औसत) या अधिकतम 25 किलोलीटर प्रतिमाह जो भी अधिक हो उसके आधार पर बिलिंग की जाती है।
(ख)	यदि हाँ, तो इस समस्या से निबटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;	उपरोक्त के संदर्भ में मान्य नहीं है। यद्यपि, किसी उपभोक्ता की गलत बिल की शिकायत आने पर उसकी जांच की जाती है एवं जमीनी हकीकत एवं आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर ठीक किया जाता है।
(ग)	क्या जल विभाग की पानी के बिलों की 'आम माफी योजना' प्रस्तावित है ;	नहीं।
(घ)	यदि हाँ, तो यह योजना कब तक आ जाएगी;	यह मान्य नहीं है।
(ङ)	क्या यह भी सत्य है कि मीटर रीडर अक्सर बिना रीडिंग लिए ही बिल जेनरेट कर देते हैं और बिल में रीडिंग की जगह 'मीटर लॉक (M/LOC)' या 'NUW (No use of water)' लिख कर भेज देते हैं; और	मीटर लॉक/हाउस लॉक स्थिति का उपयोग वहीं किया जाता है जहां हाउस/मीटर लॉक (छायाचित्र आवश्यक हैं) के कारण मीटर तक पहुंचा ना जा सके। जहां पानी का उपयोग नहीं हो रहा (No use of water) वहीं प्रयोग किया जाता है जो सम्पत्ति खाली हो या मानवरहित हो। उपभोक्ता को पानी का उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति में दिल्ली जल बोर्ड को पूर्व सूचना प्रदान करना जरूरी है। इसके विरुद्ध कोई दावा प्राप्त होता है तो जमीनी हकीकत के आधार पर बिल ठीक कर दिया जाता है।
च)	क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के रीडर्स पर लगाम लगाने हेतु कोई कार्रवाई की गई है ?	ऐसी स्थिति में जहां ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच की जाती है एवं अगर सत्य पाया जाता है तो गलत बिलिंग करने वाले मीटर रीडर पर विभागीय कार्यवाही की जाती है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Cheshta Yadav, IAS

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (Admn. & Personnel)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi